राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–6)
0141-2227052 pdsap-rd-rj@email.gov.in Website: rdprd.gov.in

क्रमांक प. 14(16)ग्रावि / ग्रुप–6 / एमएलए / धौलपुर / 2018–190 /30667-735 जयपुर, दिनांक 28 JUL 2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्,
समस्त।

विषयः– कोरोना वायरस प्रभावितों को Raj.CMRF COVID-19 Mitigation Fund में विधायक कोष की अनुशंषित एवं हस्तांतरित राशि का उपयोगिता / पूर्णता प्रमाण–पत्र के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।

संदर्भः– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, धौलपुर का पत्रांक 145, दिनांक 18.06.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कोविड–19 से उत्पन्न असामान्य परिस्थिति से निपटने हेतु विभागीय परिपत्र दिनांक 26.3.2020 के द्वारा "प्राकृतिक आपदा एवं महामारी जैसे कोविड–19 इत्यादि की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र में राहत एवं पुर्नवास हेतु राज्य के समस्त विधायक क्षेत्र में राहत एवं पुर्नवास की आवश्यकता के आधार मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि प्रदान करने हेतु अभिशंषा कर सकेगे" का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश दिनांक 29.3.2020 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत विधायकगण की अनुशंषा पर प्राप्त राशि का सदुपयोग उसी विधानसभा क्षेत्र के राहत कार्यों में ही किया जावेगा। विधायक कोष की राशि Raj.CMRF COVID-19 Mitigation Fund के खाते में जमा होने के पश्चात संबंधित जिला कलक्टर को उक्त मदों में उपयोग हेतु राशि उपलब्ध करा दी जावेगी" के निर्देश प्रदान किये गये थे।

विभागीय परिपत्र दिनांक 26.03.2020 एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के उक्त आदेशों के अनुसरण में माननीय विधायकगणों की अनुशंषानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, द्वारा विधायक कोष में स्वीकृति जारी करते हुये राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में हस्तान्तरित की गयी थी। उक्त राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होने के पश्चात विधायकगण की अनुशंषानुसार उपयोग में लिये जाने हेतु संबंधित जिला कलक्टर्स को उपलब्ध करायी गयी, जिसे जिला कलक्टर द्वारा उपयोग में लिया गया है।

अतः Raj.CMRF COVID-19 Mitigation Fund के माध्यम से जिला कलक्टर्स द्वारा विधायक मद की राशि के उपयोगिता / कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा सीधे ही जिला परिषद कार्यालय को प्रेषित किये जावे एवं इसकी प्रति मुख्यमंत्री सहायता कोष कार्यालय, जयपुर को भी प्रेषित की जावे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा नियमानुसार समायोजन आदेश जारी किये जायेंगे, जिसकी प्रति संबंधित जिला कलक्टर एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष (मुख्यमंत्री कार्यालय) को दी जावेगी।

(पी.सी. किशन)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर, समस्त (राजस्थान)।
3. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को info-rdprd@nic.in पर प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।

28/7/20

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(एसएपी)

C:\Users\SIS\Desktop\DK 2020 new (11).docx